कोरोना से मरे ईएसआइ बीमाकृत लोगों के परिवार को मिलेगी पेंशन

जागरण संवाददाता, जालंधर : कोरोना की वजह से मरने वाले ज्यादातर लोगों के परिजन आर्थिक संकट से जूझ रहे है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से बीमाकृत व्यक्तियों की कोरोना से मौत होने पर भी उनके परिजनों को पेंशन दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविड-19-रिलीफ स्कीम शुरू की है।

राकेश कुमार
● फाइल फोटो

ईएसआईसी के सब रीजनल आफिस के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि स्कीम के तहत कारखानों व संस्थानों में काम करने वाले ईएसआई के अंतर्गत आने वाले बीमाकृत लोगों की कोरोना की वजह से मौत होने पर उनके परिजनों के मदद दी जाएगी।

स्कीम मार्च 2020 से दो साल के लिए प्रभावी होगी। बीमाकृत के मरने से पहले संस्थान से मिले अंतिम वेतन का 90 फीसदी या फिर कम से कम 1800 रुपये प्रति माह पेंशन उनके परिजनों को मिलेगी। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति की कोरोना से मौत होने के बाद परिजनों को उनके ईएसआई कार्ड के अलावा कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर विभाग में आवेदन करना होगा। कोविड का पता चलने व मौत के पूर्व एक साल में कम से कम 70 दिन अंशदान होना भी जरूरी है।